महत्वपूर्ण

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश

क्रमांक/आई.डी.एस.पी/2021/44 भोपाल, दिनांक 15/01/2021

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र।

विषयः— कोविड—19 महामारी के परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा जारी की गई मानव तस्करी के नियंत्रण संबंधी एडवाईजरी के संबंध में।

संदर्भः— 1. माननीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पत्र क्र. R-17/8/2020-PRPP-Part(6) दिनांक 08/12/2020
2. म.प्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग (मानव अधिकार प्रकोष्ठ) का पत्र क्र. एफ 5—56/2020/माअप्र/1 दिनांक 18/12/2020
3. म.प्र शासन लो.स्वा.परि.कल्याण विभाग का पत्र क्र. 33/2263/2020/17/मेडि—2 दिनांक 06/01/21

विषयांतर्गत लेख है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा कोविड—19 महामारी के परिदृश्य में संवेदनशील समूहों के मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु विशेषज्ञों की समीति गठित कर समाज में कोविड—19 के प्रभाव को आंकलित किया गया है। अवगत हों कि उक्त समीति द्वारा कोविड—19 महामारी के परिपेक्ष्य में मानव तस्करी के नियंत्रण संबंधी एडवाईजरी जारी की गई है जिसका अनुपालन समस्त राज्यों द्वारा किया जाना है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा जारी की गई "Human Rights Advisory on Combating Human Trafficking in context of the COVID-19 Pandemic" को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार निर्देशित किया जाता हैः—

1. आश्रय गृहों **(Shelter Homes)** तथा बाल संरक्षण गृहों **(Child Care Institutes)** में निवासरत मानव तस्करी के पीड़ितों/उत्तरजीवियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित किया जाये।
2. ऐसे संरक्षण गृहों में पदस्थ स्टाफ को मानसिक स्वास्थ्य यथा **Depression, Anxiety, Post Traumatic Stress Disorder** आदि से संबंधित मुद्दों पर उन्मुख किया जाये ताकि उनके द्वारा पीड़ितों को आवश्यक परामर्श दिया जा सके।
3. समस्त संरक्षण गृहों में कोविड—19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक प्रोटोकॉल्स के पालन हेतु सामूहिक दूरी व श्वसन शिष्टाचार का पालन, हाथ धुलाई/सैनिटाईजेशन की उचित व्यवस्था, कोविड—19 के लक्षण युक्त व्यक्तियों की यथोचित जांच/आईसोलेशन/रेफरल आदि संबंधी निर्देश दिये जाये।

(डॉ. संजय गोयल)
आयुक्त स्वास्थ्य,
मध्यप्रदेश

क्रमांक/आई.डी.एस.पी/2021/45 भोपाल, दिनांक 15/01/2021

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, म.प्र।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र।
4. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।
5. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र।
6. समस्त विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, म.प्र।
7. प्रभारी, कोविड—19 नियंत्रण कक्ष, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।

आयुक्त स्वास्थ्य,
मध्यप्रदेश